



दिल्ली विकास प्राधिकरण
गोपनीय शाखा

संस्थापना आदेश सं.-1201

दिनांक:- 30/12/2022

अभियंता सदस्य, दि.वि.प्रा. विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों के आधार पर निम्नलिखित कनिष्ठ अभियंताओं (विद्युत) को सहायक अभियंता (विद्युत) के पद पर सातवें वेतन आयोग की संशोधित संरचना के लेवल 7 (₹44,900 - 1,42,400/-) में (जो कि छठे वेतन आयोग के पे-बैंड ₹9300-34800/- में ₹4600/- ग्रेड पे था) पदोन्नत करते हैं। यह आदेश दिनांक 01.01.2023 से प्रभावी होंगे:

क्रम सं./ वरि. सं.	नाम व पिता / पति का नाम सर्वश्री/-	तैनाती का वर्तमान स्थान
1/420	अजीत रमण सुपुत्र श्री रमेश कुमार साह	ई.एल.डी.-8
2/421	शाहबाज आलम सुपुत्र मो0 इसराइल	ई.एल.डी.-12
3/422	अमित कुमार वर्मा सुपुत्र श्री राम रूप वर्मा	ई.एल.डी.-3
4/424	गुड्डू कुमार सुपुत्र श्री सुधीर यादव	ई.एल.डी.-7
5/426	नीरज खोरिया सुपुत्र श्री सरजीत खोरिया	ई.एल.डी.-3
6/427	राजवन्त कुमार कुशवाहा सुपुत्र श्री महंथ प्रसाद कुशवाहा	ई.एल.डी.-10
7/429	धर्मेन्द्र लोधी सुपुत्र श्री ओम प्रकाश	ई.एल.डी.-1
8/431	रवि प्रकाश सुपुत्र श्री राम करन	ई.एल. डी.-10
9/433	पंकज कुमार मंडल सुपुत्र श्री गणेश मंडल	ई.एल.डी.-5
10/434	सदीप कुमार सिंह सुपुत्र श्री मदन सिंह	ई.एल. डी.-9
11/443	अंकुश कुमार सुपुत्र श्री मुख राम सिंह	ई.एल.डी.-2

2. यदि उपरोक्त अधिकारी को ए.सी.पी./एम.ए.सी.पी.स्कीम के अंतर्गत ₹9300-34800/- के वेतनमान में ₹4600/- के ग्रेड पे सहित (छठा वेतन आयोग) (जो कि सातवें वेतन आयोग की संशोधित संरचना में लेवल 7 है) पहले ही वित्तीय अभिवृद्धि प्रदान कर दी गई है, तो उन्हें कोई वित्तीय लाभ की अनुमति नहीं होगी। परन्तु उनका वेतन सातवें वेतन आयोग की संशोधित संरचना में लेवल 7 में निर्धारित होगा। यदि पहले वित्तीय लाभ नहीं मिला है तो उनके वेतन का निर्धारण सातवें वेतन आयोग के आधार पर एफ.आर.22(ii)(क)(1) के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित किया जाएगा तथा वे इस आदेश के जारी होने के 30 दिन के भीतर एफ.आर.22(ii)(क)(1) के प्रावधानों के अनुसार अपने वेतन निर्धारण के विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं।

3. सहायक अभियंता (विद्युत) के पद पर उपरोक्त अधिकारियों की पदोन्नति के परिणामस्वरूप सक्षम अधिकारी ने उन्हें निम्नानुसार तैनात किया है:

क्रम सं./ वरि.सं.	नाम व पिता / पति का नाम सर्वश्री/-	स्थान से	स्थान को
1/420	अजीत रमण सुपुत्र श्री रमेश कुमार साह	पदोन्नति पर	उत्तरी क्षेत्र
2/421	शाहबाज आलम सुपुत्र मो0 इसराइल	पदोन्नति पर	उद्यान क्षेत्र
3/422	अमित कुमार वर्मा सुपुत्र श्री राम रूप वर्मा	पदोन्नति पर	परियोजना क्षेत्र
4/424	गुड्डू कुमार सुपुत्र श्री सुधीर यादव	पदोन्नति पर	उत्तरी क्षेत्र
5/426	नीरज खोरिया सुपुत्र श्री सरजीत खोरिया	पदोन्नति पर	परियोजना क्षेत्र
6/427	राजवन्त कुमार कुशवाहा सुपुत्र श्री महंथ प्रसाद कुशवाहा	पदोन्नति पर	दवारका क्षेत्र
7/429	धर्मेन्द्र लोधी सुपुत्र श्री ओम प्रकाश	पदोन्नति पर	दक्षिणी-पूर्वी क्षेत्र
8/431	रवि प्रकाश सुपुत्र श्री राम करन	पदोन्नति पर	दवारका क्षेत्र

(Signature)

Contd..2/



-2-

9/433	पंकज कुमार मंडल सुपुत्र श्री गणेश मंडल	पदोन्नति पर	दवारका क्षेत्र
10/434	संदीप कुमार सिंह सुपुत्र श्री मदन सिंह	पदोन्नति पर	रोहिणी क्षेत्र
11/443	अंकुश कुमार सुपुत्र श्री मुख राम सिंह	पदोन्नति पर	परियोजना क्षेत्र

4. यदि उपरोक्त अधिकारियों ने नियुक्ति की शर्तों तथा समय-समय पर जारी परिपत्रों के पश्चात भी विभागीय लेखा परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की हो तो वे सहायक अभियंता (विद्युत) पद की वार्षिक वेतन वृद्धि को तब तक नहीं ले सकते जब तक यह परीक्षा उत्तीर्ण ना हो जाए।

5. उन्हें आगे कार्यभार ग्रहण करने की सूचना की एक प्रति उप निदेशक (कार्मिक)-1 को भेजते हुए अपने संबंधित अधिकारी को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया जाता है। उनकी पदोन्नति उनके नये पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होंगे।



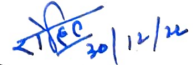
(प्रमोद कुमार)
उप निदेशक (गोपनीय शाखा)

सं.एफ.10(58)2022/सी.सी./ 1031

दिनांक:- 30/12/2022

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. अभियंता सदस्य, दि.वि.प्रा. के निजी सचिव।
2. प्रधान आयुक्त (कार्मिक) / (उद्घान), दि.वि.प्रा. के निजी सचिव।
3. मुख्य अभियंता(विद्युत), (मुख्यालय/क्यू.ए.सी.), उत्तरी क्षेत्र, उद्यान क्षेत्र, परियोजना क्षेत्र, दवारका क्षेत्र, दक्षिण-पूर्वी क्षेत्र, परियोजना, रोहिणी क्षेत्र, दि.वि.प्रा. के निजी सचिव।
4. मुख्य लेखा अधिकारी, दि.वि.प्रा. के निजी सचिव।
5. आयुक्त (कार्मिक), दि.वि.प्रा. के निजी सचिव।
6. अधिशासी अभियंता (विद्युत), ई.एल.डी.-8, ई.एल.डी.-12, ई.एल.डी.-3, ई.एल.डी.-7, ई.एल.डी.-10, ई.एल.डी.-5, ई.एल.डी.-1, ई.एल.डी.-9, ई.एल.डी.-2 दि.वि.प्रा.।
7. निदेशक (कार्मिक)-1,2 / सतर्कता-1, 2, पी.एम.-उदय - 1, 2, दि.वि.प्रा.।
8. उप निदेशक - (कार्मिक)-1,2 / सतर्कता(प्रशा.) / पी.एम.-उदय (मुख्यालय)- 1,2 / आरक्षण कक्ष / आर.टी.आई. कक्ष, दि.वि.प्रा.।
9. उप निदेशक (पी.एम.आई.एस.), दि.वि.प्रा. आदेश को डी.डी.ए. की वेबसाइट पर डालने हेतु।
10. सहायक निदेशक (कार्मिक)-1,2 / पी.एम.आई.एस. / गोपनीय कक्ष - 2, दि.वि.प्रा.।
11. लेखाधिकारी (संस्था.) अराजपत्रित / सम्बन्धित सी.ऐ.यू., दि.वि.प्रा.।
12. उक्त उल्लिखित अधिकारी।
13. व्यक्तिगत फाइल / संस्थापना आदेश पुस्तिका / गार्ड फाइल।



(रोहित माथुर)
सहायक निदेशक(गोपनीय शाखा)